

रिपोर्ट पटवारी हत्का / आई०एस०आर०
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जितके अनुसार ग्राम सिंगनी की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के, खता नं. 106 की खेती का नाम रामगोपाल पु. सांवर दर्ज है जो कि उक्त है। प्रार्थी द्वारा पत्र आदि में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पु. सांवर दर्ज है जो कि उक्त नाम है। अतः उक्त खता नं. के खेती का नाम रामगोपाल पु. सांवर की जगह रामगोपाल पु. सांवरमल दर्ज करना उचित है। प्रार्थी के पक्ष में रहने के हैं।

[Handwritten signatures and dates]
 9/11/2021

कार्यालय, तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजख/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर भिजेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

[Signature]
 9/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

प्रशासन गावों के संग अभियान 20 आदेश :-

दिनांक :- 9/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजख अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

1096
 9-11-2021

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	सिंगनी	2075-78	106	रामगोपाल पु. सांवर	रामगोपाल पु. सांवरमल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहने हो तो रहने मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी दिनांक 9/11/21

क्रमांक :- राजख/2020/ 901-902
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (झुंझुनू)